सं0–3 /ऽ/ IV-श0वि0–07–288(सा0) / 07 टी.सी.III

प्रेषक,

शत्रुघ्न सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक–17 दिसम्बर, 2007

विषय : नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश जनपद देहरादून के अन्तर्गत अवस्थापना विकास निधि से वित्तीय वर्ष–2005–06 में स्वीकृत कार्यों की अवशेष धनराशि की चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–690 / V-श0वि0–06–259(सा0) / 05टी.सी.III, दिनांक 25–03–06 एवं शासनादेश सं0–480 / V-श0वि0–06–259(सा0) / 05, दिनांक 06–03–06 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश दिनांक 25–03–06 के माध्यम से नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश जनपद देहरादून के लिए कुल 28 सड़कों एवं नालियों के निर्माण हेतु रू0–119.73 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए शासनादेश संख्या 801 / V–श0वि0–06–166(सा0)टी0सी0 / 03 दिनांक 29–3–2006 के द्वारा रू0 44.90 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी।

2. शासनादेश दिनांक 06–03–06 के माध्यम से ऋषिकेश शहर के अन्तर्गत रेलवे मार्ग के दोनों ओर पक्की नाली के निर्माण हेतु रू0–31.40 लाख की स्वीकृति के सापेक्ष उक्त शासनादेश दिनांक 29–3–2006 के द्वारा रू0–23.55 लाख अवमुक्त किये गये थे। यह कार्य लोक निर्माण विभाग के अधीन होने के कारण नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश द्वारा अपने पत्र संख्या 1043 / 4(2) दिनांक 29–11–2007 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र में, कराये जाने में असमर्थता प्रकट की गयी है।

3. अतः शासनादेश दिनांक 25–03–06 के माध्यम से स्वीकृत कार्यों की अवशेष धनराशि रू0–74.83 लाख की प्रतिपूर्ति के संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रस्तर–2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 06–03–06 द्वारा स्वीकृत कार्य को निरस्त कर इस मद हेतु नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश के पास अनुपयुक्त धनराशि रू0–23.55 लाख का उपयोग शासनादेश दिनांक 25–03–06 के माध्यम से स्वीकृत कार्यों पर स्वीकृति हेतु अवशेष रू0 74.83 लाख पर किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं तदोपरान्त अवशेष रू. 51.28 लाख (रूपये इक्कयावन लाख अट्ठाईस हजार मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त धनराशि रू. 51.28 लाख (रूपये इक्कयावन लाख अट्ठाईस हजार मात्र) आपके द्वारा आहरित कर संबंधित नगर पालिका परिषद को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी, जो शासनादेश की शर्तें पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेंगे।
2. शासनादेश सं0–690 / V-श0वि0–06–259(सा0) / 05टी.सी.III, दिनांक 25–03–06 में उल्लिखित अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
4. सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेतर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।
5. स्वीकृत धनराशि का इसी वित्तीय वर्ष में उपयोग करते हुए कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाये।
6. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता / अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

क्रमशः.....

7. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

8. मुख्य सचिव महोदय, उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31-03-2008 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

4- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 13 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05- नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास" के मानक मद '20 सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता' के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0- 531/XXVII(2)/2007, दिनांक- 6 दिसम्बर, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शत्रुघ्न सिंह)
सचिव।

सं0- 385 (1)/IV-श0वि0-07,तद्‌दिनांक। 12/12/07

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तराखण्ड , देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/नगर विकास मंत्री जी।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 मे इसे शामिल करें।
9. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(गोपाल कृष्ण द्विवेदी)
अपर सचिव।